निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 14/अपील/21

उनवान अपील

मोहम्मद हारून आ0 चॉद मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार पचपहाड़ दिनांक 28.01.2012 जो नामान्तरकरण संख्या 754 पर पारित किया गया।

उपस्थितः– श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: **निर्णय** :– दिनांकः 24.08.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 28.01.2021 जो भवानीमण्डी की आराजी पर तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 754 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपने अपील मींमों में निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़ की आराजी खसरा सख्या 74 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा सख्यां 75 की 10 बिस्वा भूमि में से दिनांक 06.10.2009 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र खसरा संख्या 74 की 75 फीट 3 ईच गुणा 50 बराबर 3762.50 एवं खसरा सख्या 75 की 10 बिस्वा में से 24 फीट 9 ईच गुणा 50 बराबर 1237.50 कुल 5000 वर्ग फीट भूमि खरीद की थी,जिसका नामान्तरकरण संख्या 754 भरा गया था जो गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील मनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एक पक्षीय विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, अपीलार्थी द्वारा खरीदशुदा भूमि का रकबा अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। जो न कर कानूनी भूल की है। अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के नाम खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये जावें।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़ की आराजी खसरा सख्या 74 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा सख्यां 75 की 10 बिस्वा भूमि में से दिनांक 06.10.2009 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र खसरा संख्या 74 की 75 फीट 3 ईच गुणा 50 बराबर 3762.50 एवं खसरा सख्या 75 की 10 बिस्वा में से 24 फीट 9 ईच गुणा 50 बराबर 1237.50 कुल 5000 वर्ग फीट भूमि खरीद की थी,जिसका नामान्तरकरण संख्या 754 भरा गया था जो गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील मनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के नाम

खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत नही की गई है। तहसीलदार तहसील पचपहाड़ द्वारा नियमों के परिपेक्ष्य में नामान्तरकरण खारिज किया गया है जो उचित है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर गौर किया– प्रकरण के अवलोकन से उभरता है कि अपीलार्थी द्वारा कस्बा भवानीमण्डी की आराजी ख0न0 74 व 75 की भूमि में से 5000 वर्ग फीट भूमि का क्रय भूमि के खातेदार रामस्वरूप आ0 गोरधन लाल से दिनांक 06.10.2009 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किया गया। उक्त विक्रय पश्चात सम्बन्धित पटवारी द्वारा रिपोर्ट आई एल आर को की गई तत्पश्चात आई एल आर द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ को नामान्तरकरण बाबत रिपोर्ट की गई जिस पर तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा " रिपोर्ट **ILR** के अनुसार विक्रय की गई भूमि निर्धारित ईकाई में न होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र की भावना के प्रतिकूल होने से नामा.निरस्त हो" आदेश पारित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो नामान्तरकरण प्रस्तुत किया गया था वह राजस्थान में प्रचलित मानक माप इकाईया अर्थात बीघा,बिस्वा,हेक्टेयर,हेयर में वर्णित नही होकर वर्ग फीट में प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.10.2010 में स्पष्ट किया गया है कि पंजीकृत क्रय पत्र में भूमि का क्षेत्रफल कृषि भूमि के क्षेत्रफल या रकबे के लिये राजस्थान में प्रचलित मानक माप इकाईयां अर्थात बीघा,बिस्वा,हैक्टेयर,हेयर या एक डमें में ही वर्णित होना आवश्यक है। गज/वर्गगज,फीट/वर्गफीट अथवा मीटर/वर्गमीटर माप इकाईयां कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ मानक माप इकाईयां नही है। अतः उक्त विवेचनानुसार इन्तकाल जेर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़